

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JAISALMER

FACTUAL & ACTION TAKEN REPORT

RELATED TO ORIGINAL APPLICATION NO. 76/2023

LISTED BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

1. Rajasthan Tourism Department & District Administration Jaisalmer is jointly hosting International Desert Festival 2023 from 2nd February 2023 to 5th February 2023.
2. District Administration received a letter from Deputy Conservator of Forest, Desert National Park dated 12/01/2023 raising objections to hosting cultural evening in Sam and Khuri Sand Dunes (copy enclosed).
3. Taking cognizance of the letter, District Environment Committee Meeting was called on 25/01/2023 and decision was taken to seek permission from Principal Chief Conservator of forest & Chief Wildlife Warden Rajasthan, Jaipur. (copy enclosed) Letter was received from Principal Chief Conservator of forest & Chief Wildlife Warden Rajasthan, Jaipur on 27/01/2023 (copy enclosed) wherein it was directed to hold cultural program outside Desert National Park boundary.
4. Thereby, in compliance, the cultural evenings proposed on 4th February 2023 and 5th February 2023 have been shifted to Shahid Poonam Singh Stadium in Jaisalmer city and no program with light, sound and firecrackers is being held in Khuri and Sam Sand Dunes by Tourism Department and District Administration on any of the festival dates.


TINA DABI
DISTRICT COLLECTOR & MAGISTRATE
JAISALMER (RAJ.)

राजस्थान सरकार वन विभाग
कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव, जैसलमेर

क्रमांक : एफ () / विविध / उपसंवजीज / 2022-23 / 93-101 दिनांक 12-01-2023

निमित्त:-

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला पर्यावरण समिति,
जैसलमेर

विषय:- मरु महोत्सव 2023 के दौरान राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य क्षेत्र में स्थित सम
सेण्ड ड्यून्स एवं खुहडी सेण्ड ड्यून्स पर आतिशबाजी, तेज प्रकाश लाईट व तेज
ध्वनि के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि पूर्व में आयोजित होने वाले मरु महोत्सव आयोजनों में जिला प्रशासन मरु महोत्सव के तीसरे दिन सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन सम सेण्ड ड्यून्स एवं खुहडी सेण्ड ड्यून्स पर किया जाता है जिसमें तीव्र प्रकाश वाली लाईटों (फ्लेश लाईट/डिस्को लाईटों), तेज ध्वनि के स्त्रोंतों (स्पीकर, बूफर आदि) एवं अतिशबाजी का उपयोग किया जाता रहा है। चूंकि उक्त सेण्ड ड्यून्स अभयारण्य का अथवा अभयारण्य के ईको-सैसिटीव जोन का हिस्सा है इसलिए उक्त गतिविधियों से वन्यजीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही उक्त गतिविधियों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1956 के तहत प्रतिबंधित है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस वर्ष आयोजित होने वाले मरु महोत्सव की रूपरेखा व स्थान अभयारण्य क्षेत्र के वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता को अपनाते हुए वन्यजीवों को हो सकने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर करें व राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य क्षेत्र के आसपास सम सेण्ड ड्यून्स एवं खुहडी सेण्ड ड्यून्स पर मध्य रात्रि के समय तीव्र प्रकाश वाली लाईटों (फ्लेश लाईट/डिस्को लाईटों), तेज ध्वनि के स्त्रोंतों (स्पीकर, बूफर आदि) एवं अतिशबाजी का उपयोग नहीं करें।

साथ ही ड्यून्स के समीप स्थित रिसोर्ट संचालकों को साफ-सफाई, आतिशबाजी, तेज प्रकाश वाली लाईटों एवं तेज ध्वनि के यंत्रों का प्रयोग भविष्य में नहीं किए जाने हेतु पाबन्द करवाने का कष्ट करावे जिससे की अभयारण्य क्षेत्र में प्रवास करने वाले वन्यजीवों पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

भवदीय



उप वन संरक्षक
वन्य जीव, जैसलमेर

क्रमांक : एफ () / विविध / उपसंवजीज / 2022-23 / 93-101
प्रतिलिपि:

दिनांक 12-01-2023

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
3. उप वन संरक्षक, जैसलमेर-सदरस्थ सचिव, जिला पर्यावरण समिति, जैसलमेर।
4. उपनिदेशक, पर्यटन स्वागत केन्द्र, जैसलमेर।
5. उप खण्ड अधिकारी, जैसलमेर।
6. तहसीलदार, जैसलमेर/सम।
7. अध्यक्ष, सम वेलफेयर सोसायटी, जैसलमेर।


उप वन संरक्षक
वन्य जीव, जैसलमेर



कार्यालय उप वन संरक्षक, जैसलमेर



केन्द्रीय बस स्टैंड के सामने, बाडमेर रोड़, जैसलमेर Email: dcfjism@gmail.com

क्रमांक:एफ()विकास/उवसं/2022-23/504

दिनांक:- 25.01.2023

जिला पर्यावरण समिति जैसलमेर की त्रैमासिक बैठक दिनांक 25.01.2023 बैठक कार्यवाही विवरण

जिला पर्यावरण समिति की त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर महोदया, जैसलमेर की अध्यक्षता में दिनांक 25.01.2023 को जिला कलक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विषयों पर निम्नानुसार चर्चा की गई :-

क्र.सं.	चर्चा का बिन्दु	अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गये निर्देश	पालना द्वारा
1.	● पोलीथिन बैग्स की रोकथाम पर चर्चा	<ol style="list-style-type: none">श्रीमान अध्यक्ष महोदया ने नगर परिषद जैसलमेर को निर्देश दिए कि अभी तक की गयी कार्यवाही अपर्याप्त है। सिर्फ छोटे व्यापारियों एवं ठेले वालों के विरुद्ध कार्यवाही करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रभावी कार्यवाही हेतु पॉलिथिन बैग्स के सप्लायर्स/डीलर्स के विरुद्ध कार्यवाही की जावे। पोलीथिन बैग्स के भण्डारण स्थलों का निरन्तर समयबद्ध निरीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे।आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर ने बताया कि प्लास्टिक बोतल को क्रेश करने वाली मशीन क्रय की जा चुकी है जिसे स्थापित करने हेतु बिजली विभाग से बिजली कनेक्शन की कार्यवाही की जा रही है। कनेक्शन मिलने पर शीघ्र ही आगामी बैठक से पूर्व शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में लगवा दिया जावेगा।अध्यक्ष महोदया द्वारा गडीसर क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा मछलियों को ब्रेड खिलाने एवं उसके बाद प्लास्टिक इधर उधर फेंक दी जाती है जिस पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश दिये गये।अध्यक्ष महोदया ने जिला परिवहन अधिकारी को भी जिले के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को प्लास्टिक थैलियों को परिवहन न करने हेतु पाबन्द करने के निर्देश दिये तथा समय-समय पर इसकी गहन चैकिंग करने के निर्देश दिये।	<ol style="list-style-type: none">समस्त उपखण्ड अधिकारीनगर परिषद, जैसलमेरनगर पालिका, पोकरणसमस्त तहसीलदारमुख्य जिला शिक्षा अधिकारीजिला परिवहन अधिकारी
3.	● शहर की अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण पर चर्चा -	<ol style="list-style-type: none">आयुक्त, नगर परिषद जैसलमेर द्वारा बताया गया कि वेस्टेज कन्जप्शन मशीन इन्वारमेंट क्लीयरेंस के बाद बडाबाग क्षेत्र में लगवा दी जावेगी।डॉर टू डॉर कचरा संग्रहण के लिए 5 टैक्सियों और लगादी गयी है। जिला कलक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक वैस्ट पृथक-पृथक संग्रहण नहीं हो रहा है अतः इनका पृथक-पृथक	<ol style="list-style-type: none">नगर परिषद, जैसलमेरनगर पालिका, पोकरणमुख्य चिकित्सा अधिकारी, जैसलमेर

		<p>संग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। चयनित स्थल पर मेडिकल वेस्ट को पृथक से संग्रहित करें। हर घर में RFID लगी हुई है उसका प्रयोग कर व्यवस्था को उत्तम बनाया जावे।</p> <p>3. नगर परिषद, जैसलमेर को शहर में अपशिष्ट पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में व्यापक जन जागरण अभियान चलाने के निर्देश दिये।</p>	
4.	<ul style="list-style-type: none"> अवैध खनन पर रोक एवं चर्चा- 	<p>1. खनि अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ऐयर फोर्स क्षेत्र एवं प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज स्थल के आस पास क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर कार्यवाही कर रोकथाम की गयी है।</p> <p>2. अवैध खनन की रोकथाम के लिये निरन्तर कार्यवाही की जा रही हैं। 65 प्रकरण के अन्तर्गत 76 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।</p> <p>3. खनन अभियन्ता द्वारा बताया गया कि डी.एन.पी. क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध खनन को रोकने में कठिनाई है क्योंकि डी.एन.पी. क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिये कि डी.एन.पी. क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के संबंध में उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर से सम्पर्क स्थापित कर उनके स्टाफ को साथ लेकर अवैध खनन के रोकथाम की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।</p>	<p>1. पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर</p> <p>2. खनि अभियन्ता, जैसलमेर</p> <p>3. उप वन संरक्षक जैसलमेर</p>
5.	<ul style="list-style-type: none"> मरू महोत्सव आयोजन के संबंध में 	<p>दिनांक 3 फरवरी से 5 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले मरू महोत्सव के अन्तर्गत सम एवं खुहडी क्षेत्र में होने वाले पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। मरूमहोत्सव के अन्तर्गत सम एवं खुहडी क्षेत्र में होने वाले पर्यटन संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर तत्कालीन उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर के द्वारा आपत्ती जताई गयी थी। चर्चा के दौरान उप खण्ड अधिकारी जैसलमेर ने बताया कि सम में प्रस्तावित पर्यटन संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के निकट लगभग 200 मीटर अन्दर है तथा सम गोडावण प्रजनन केन्द्र कार्यक्रम स्थल से लगभग 4 कि.मी. दूर होना बताया गया। खुहडी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम स्थल भी अभ्यारण्य सीमा के अन्दर एवं सीमा के करीब है। सभी सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान यह विचार व्यक्त किया गया कि जैसलमेर मरू महोत्सव कार्यक्रम अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान रखता है हजारों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं अभ्यारण्य सीमा में दिनांक 4.2.2023 एवं 5.2.2023 को खुहडी एवं सम पर प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रम लगभग पिछले 30-35 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष में केवल एक दिन 2-3 घंटे का होता है। चूंकि यह कार्यक्रम वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के बिल्कुल नजदीक है तथा उक्त स्थल पर वन्य जीवों का विचरण</p>	<p>1. तहसीलदार, जैसलमेर</p> <p>2. नगर परिषद, जैसलमेर</p> <p>3. उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर</p> <p>4. उप वन संरक्षक जैसलमेर</p>

		<p>भी नहीं के बराबर है अतः वन्य जीवों को प्रत्यक्षतः व्यवधान होने की संभावना दृष्टिगत नहीं होती है अतः सभी सदस्यों द्वारा वन्य जीव अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत संक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने की राय व्यक्त की गयी ताकि कोई कानूनी पेचिदगियों न हो।</p> <p>उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर ने बताया कि मरु महोत्सव कार्यक्रम, सम एवं खुहडी क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में करवाने के लिए स्थिति स्पष्ट करते हुए इस संबंध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज. जयपुर से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। जिला कलक्टर महोदया द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।</p>	
--	--	--	--

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी


(जी.के.वर्मा)

सदस्य सचिव
जिला पर्यावरण समिति एवं
उप वन संरक्षक,
जैसलमेर

दिनांक:—25.01.2023

क्रमांक / सम / 505—536

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमान जिला कलक्टर, जैसलमेर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
3. उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जैसलमेर।
4. उप वन संरक्षक, इगानप स्टेज II, जैसलमेर
5. उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर।
6. तहसीलदार जैसलमेर।
7. उप निदेशक, कृषि विभाग, जैसलमेर।
8. मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, जैसलमेर।
9. पी.एम.ओ. जवाहर चिकित्सालय, जैसलमेर।
10. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जैसलमेर।
11. सचिव नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर।
13. आयुक्त नगरपरिषद्, जैसलमेर।
14. अधिशाषी अभियन्ता RUSDIP, जैसलमेर।
15. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
16. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, जैसलमेर।
17. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जैसलमेर।
18. जिला परिवहन अधिकारी, जैसलमेर।
19. वाणिज्य कर अधिकारी, जैसलमेर।
20. सहायक निदेशक पर्यटन विभाग, जैसलमेर।
21. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रिको, जैसलमेर।
22. प्रभारी अधिकारी, भू जल वैज्ञानिक, भू जल विभाग, जैसलमेर।
23. खनिज अभियन्ता, खनिज विभाग जैसलमेर।
24. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर।

25. निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, ए-26 धर्म नारायण जी का हथा, पावटा, जोधपुर।
26. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एसपीएल प्लाट नं. 2, मरुधरा इण्डस्ट्रीयल एरिया (एम.आई.ए.) बासनी फेस-1, जोधपुर।
27. प्रभारी अधिकारी, एफ.सी.आई. अरावली, जैसलमेर।
28. वरिष्ठ संरक्षक सहायक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप मण्डल, स्टेशन रोड, जैसलमेर
29. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जैसलमेर।
30. सचिव जैसलमेर विकास समिति।
31. सचिव आई लव जैसलमेर।
32. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव
जिला पर्यावरण समिति एवं
उप वन संरक्षक,
जैसलमेर



कार्यालय जिला कलेक्टर जैसलमेर

क्रमांक: एफ () सामान्य / 2023 / 4-68
निमित्त :-

दिनांक : 25.01.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र (अभ्यारण्य) में मरु महोत्सव 2023 के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर के पत्रांक 93-101 दिनांक 12.01.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्यटन विभाग, जयपुर एवं जिला प्रशासन, जैसलमेर द्वारा जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन दिनांक 3 से 5 फरवरी, 2023 को करवाया जाना है। मरु महोत्सव कार्यक्रम के दौरान दिनांक 4 एवं 5 फरवरी को क्रमशः खुहड़ी एवं सम में लगभग 2-3 घंटे का पर्यटन संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। उक्त सांस्कृतिक प्रोग्राम विगत कई वर्षों से इसी क्षेत्र में होता आया है। केवल इस वर्ष संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जैसलमेर द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है। जहाँ यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है वह अभ्यारण्य की सीमा के अंदर एवं किनारे पर स्थित है। आज दिनांक 25.01.2023 को आयोजित जिला पर्यावरण समिति की त्रैमासिक बैठक (प्रति संलग्न) में अन्य एजेंडा बिन्दुओं के साथ मरु महोत्सव के आयोजन के संबंध में भी चर्चा की गयी। बैठक में चर्चा के दौरान बताया गया कि पर्यटन संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम दिनांक 4 फरवरी को खुहड़ी एवं 5 फरवरी को सम में आयोजित किया जावेगा। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम मात्र 2-3 घंटे की अवधि में संपन्न होता है तथा एक वर्ष में केवल एक दिन आयोजित किया जाता है। जैसलमेर जिले में आयोजित मरु महोत्सव कार्यक्रम विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखता है। सम एवं खुहड़ी क्षेत्र में कार्यक्रम स्थल राष्ट्रीय मरु उद्यान (अभ्यारण्य) की सीमा में एवं सीमा के निकट करीब 200 मीटर अंदर है तथा सम गोडावन ब्रिडिंग सेन्टर से खुहड़ी का कार्यक्रम स्थल लगभग 32 किलोमीटर दूर है और सम के कार्यस्थल से लगभग 04 किलोमीटर दूरी पर है (तहसीलदार सम की रिपोर्ट संलग्न है)। अतः प्रत्यक्षतः वन्य जीवों विशेषकर गोडावण को कोई व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना दृष्टिगत नहीं होती है। अतः सर्वसम्मति से समिति द्वारा अभ्यारण्य की सीमा में यह कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने की अनुशंसा की गयी है ताकि कोई कानूनी पेचिदगियों का सामना न करना पड़े।

अतः दिनांक 4 एवं 5 फरवरी को खुहड़ी एवं सम में मरु महोत्सव कार्यक्रम जो कि पर्यटन की श्रेणी में आता है को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 28 (d) के तहत स्वीकृति प्रदान करने का श्रम करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(टीना डाबी)

जिला कलेक्टर, जैसलमेर

क्रमांक: एफ () सामान्य / 2023 / 4-69 - 70

दिनांक : 25/01/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, वन्य जीव जैसलमेर।

जिला कलेक्टर, जैसलमेर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, राजस्थान, जयपुर

फोन नम्बर 0141-2700151

ई-मेल: cwlv.raj@gmail.com

क्रमांक: एफ 19 () अनुमतियां/मुवजीप्र/2018/ 8382

दिनांक: 29-1-23

निमित्त,

जिला कलेक्टर
जैसलमेर।

विषय:-डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र (अभयारण्य) में मरू महोत्सव 2023 के अन्तर्गत पर्यटन संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के संबंध में।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक एफ () सामान्य/2023/468 दिनांक 25.01.2023

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 4 व 5 फरवरी को खुहड़ी एवं सम में मरू महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यटन गतिविधियों के आयोजन के संबंध में निम्नानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

1. डेजर्ट नेशनल पार्क अभयारण्य का ईको सेन्सेटिव जोन निर्धारित नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की गाईडलाइन 06.05.2022 के अनुसार जिन गतिविधियों के लिये पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता है, उक्त गतिविधियों के लिये वन्यजीव स्वीकृति की आवश्यकता होगी। यदि आप द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों में पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता है तो वन्यजीव स्वीकृति की कार्यवाही करावे अन्यथा वन्यजीव संरक्षण हेतु उचित सावधानी रखते हुये गतिविधियां संपादित करें।
2. चूंकि ये कार्यक्रम पूर्व के कई वर्षों से स्थानीय निवासियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है अतः पर्यटन संबंधी कार्यक्रम की अनुमति उप वन संरक्षक, वन्यजीव जैसलमेर के पत्र क्रमांक 345 दिनांक 27.01.2023 (प्रति संलग्न) के अनुरूप अभयारण्य की प्रबंध योजना में उल्लेखित क्षेत्र में अल्पावधि के लिये वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के प्रावधानों की पालना के शर्तधीन दी जाती है।
3. दीर्घकालिक व्यवस्था हेतु पृथक से प्रस्ताव भेजें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवानीय

(अरिन्दम तोमर)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:

क्रमांक: एफ 19 () अनुमतियां/मुवजीप्र/2018/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

1. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जोधपुर।
2. उप वन संरक्षक वन्यजीव जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि प्रस्तावित पर्यटन गतिविधियों के आयोजन में वन्यजीव संरक्षण हेतु जारी दिशा निर्देशों एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करावे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर